SP-857618101

विकास आयुक्त का कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार)
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110 108

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi - 110 108

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम

Ph.EPABX - 23062800, 23063802 23063803 FAX - (91-11) 23062315, 23061726, 23061068, e-mail - dcmsmehq@nb.nic.in

No. 5(2)2015-MSME POL

D-211
26-5-15

दिनांक: 18 मई, २०१५

संयुक्त निदेशक, उद्योग,
कार्यालय आयुक्त उद्योग,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर - 302005

विषय:- एमएसएमई अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रतिबंधित उद्योगों की सूची भिजवाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपने कार्यालय के पत्र संख्या एफ. 15(20)/आयु. उ./ई एम.अनु./पाली/2007 दिनांक 16.03.2015 का संदर्भ ले।

2. एमएसएमई अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रतिबंधित उद्योगों की कोई सूची जारी नहीं की गई है I उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अंतर्गत केवल निम्नलिखित 5 उद्योगों के लिये औद्योगिक लाईसेन्स लेने आवश्यक है :

(i) Distillation and brewing of alcoholic drinks;
(ii) Cigars and cigarettes of tobacco and manufactured tobacco substituted;
(iii) Electronic aerospace and Defence equipment: all types;
(iv) Industrial explosives including detonating fuses, Safety Fuses, gun powder, nitrocellulose and matches;
(v) Hazardous chemicals: viz. (a) Hydrocyanic acid and its Derivatives; (b) Phosgene and its derivatives; (c) Isocyanates and diisocyanates of hydrocarbon, not elsewhere specified (example: Methyl Isocyanate).

3. उपरोक्त के अतिरिक्त Atomic Energy and Railway Transport लोक उद्यम क्षेत्र (Public sector) के लिये आरक्षित है I तथापि लोक उद्यम क्षेत्र (Public sector) के लिये आरक्षित Railway Transport के निम्नलिखित क्षेत्रों का संनिर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण, औद्योगिक निति और संवर्धन विभाग (DIPP) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2113(अ) दिनांक 22.8.2014(प्रति संग्लन), द्वारा संशोधित कर दिया गया है:

(i) Suburban corridor project through Public Private Partnership;
(ii) high speed train projects;
(iii) dedicated freight lines;
(iv) Rolling stock including train sets, and locomotives or coach manufacturing and maintenance facilities;

304

(v) railway electrification;
(vi) signaling system;
(vii) Freight terminals;
(viii) Passenger terminals
(ix) Infrastructure in industrial park pertaining to railway line or sidings including electrified railway lines and connectivities to main railway line; and
(x) Mass rapid transport"

संलग्न: यथोक्त

भवदीय

18.5.15

(डा॰ ओ पी मेहता)
निदेशक (नीति)

सूचनार्थ प्रति : श्री ए. एम. बलराज, सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर(Engg.), डी.आई.पी.पी., कमरा नं-475, उद्योग भवन , नई दिल्ली-108.

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005
ई–मेलः **indrajfo7@rajasthan.gov.in,** फैक्स नं.: 0141–2227516/5106748
फोन नं. 0141–2227727–34, 2227630–34, 2227823–34 (पी.बी.एक्स)

क्रमांक : एफ 15(20)आयु.उ./ईएम अनु./पाली/2007 दिनांक : 5-6-2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
2. सहायक निदेशक/जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उपकेन्द्र, समस्त।
3. रक्षित पत्रावली।

(अविन्द्र लढढा)
संयुक्त निदेशक, उद्योग

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1644] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2014/श्रावण 31, 1936

No.1644] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2014/SHRAVANA 31, 1936

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2014

का.आ. 2113(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्रालय के तत्कालीन औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 477(अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना की पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित किए जाने वाले उद्योगों की प्रस्तावित सूची से संबंधित अनुसूची 1 में, मद संख्यांक 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"8. निम्नलिखित के संनिर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण से भिन्न, रेल प्रचालन :--

(i) पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के माध्यम से उपनगरीय कॉरिडोर परियोजनाएं ;

(ii) तीव्रगति रेल परियोजनाएं ;

(iii) डेडीकेटिड फ्रेट लाइनें ;

(iv) चल स्टाक जिसके अंतर्गत रेलगाड़ी के सेट भी हैं, और लोकोमोटिव या कोच विनिर्माण और अनुरक्षण सुविधाएं ;

(v) रेल विद्युतीकरण ;

(vi) सिग्नल प्रणाली ;

(vii) ढुलाई टर्मिनल ;

(viii) यात्री टर्मिनल ;

(ix) रेल लाइन या साइडिंग से संबंधित औद्योगिक पार्क की अवसंरचना जिसके अंतर्गत विद्युन्मय रेल लाइनों और मुख्य रेल लाइनों से संयोजन भी है ; और

(x) व्यापक द्रुतगामी परिवहन प्रणालियां"।

[फा. सं. 7(2)/2014-आईएल (आईपी)]

शुभ्रा सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक का.आ. 477(अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक का.आ. 1881(अ), तारीख 30 जुलाई, 2010 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2014

S.O. 2113(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industry, erstwhile Department of Industrial Development, number S.O. 477(E), dated, the 25th July, 1991, namely:

In the said notification in Schedule-I relating to the proposed list of industries to be reserved for the public sector, for the item number 8, the following shall be substituted, namely:—

"8. Railway operations other than construction, operation and maintenance of the following:

(i) suburban corridor projects through Public Private Partnership;

(ii) high speed train projects;

(iii) dedicated freight lines;

(iv) rolling stock including train sets, and locomotives or coach manufacturing and maintenance facilities;

(v) railway electrification;

(vi) signaling systems;

(vii) freight terminals;

(viii) passenger terminals;

(ix) infrastructure in industrial park pertaining to railway line or sidings including electrified railway lines and connectivities to main railway line; and

(x) mass rapid transport systems".

[F. No. 7(2)/2014-IL(IP)]

SHUBHRA SINGH, Jt. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 477(E), dated the 25th July, 1991 and last amended *vide* number S.O. 1881(E), dated the 30th July, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.